

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी
व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब
तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् में खाता संख्या में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	झांझार	28	मोहन सिंह 19/5 दीरामद 1/6 9'	मोहन सिंह 19/5 दीरामद 3/92
			मोहन सिंह 19/5 दीरामद 1/92	

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं

उपखण्ड अधिकारी भीम

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
जिला-राजसमन्द

दिनांक :-

क्रमांक:- 2026/91
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं

उपखण्ड अधिकारी भीम

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
जिला-राजसमन्द